166

10रु. COURT भारत दस रुपए 20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपए TWENTY RUPEES CANCELLED

B.O.R.

DEC 2016

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

राजकुमार वासुदेव तनय श्री रामदास वासुदेव R4388-I-16
निवासी ग्राम वीरमपुरा तह. बकस्वाहा
जिला छतरपुर

..................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन

..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29/10/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

द्वारा प्रस्तुत
प्रभारी लिपिक
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4388–एक/2016 जिला–छतरपुर

राजकुमार वासुदेव विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 58/बी–121/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 29–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	